

# फट अहकाम

बनाम

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील काडी उपस्थित। प्रतिवादी स. 1 उपस्थित वकील प्रार्थी व अपार्थी 15 व 16 के वकील उपस्थित। शेष के नोटिस पर ताम्रिल के अवलोकक देख दिनांक 25.4.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>Smad</u> 11.4.18</p>	<p>4 9/1/18 शर्मा</p> <p><i>(Signature)</i> 11.4.18</p>
18	<p>पत्रावली पेश हुई, पत्रावली कार्यावाही है। न्याय आदेश द्वारा कार्य स्थल राजपुरा पातलवास में दि नांक 24.05.18 को पेश हो।</p>	
18	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपट्टे डार कैम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास में पेश हुई। प्रार्थी व अपार्थीगण उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा-पातलवास में की है। प्रार्थी का मूलवाद खारिज हो गया है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाया जाना अहित नहीं समझते हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर है कम ही।</p> <p>आज दिनांक 24.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपट्टे डार कैम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास में अजमे आम में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><u>Smad</u> 24.5.18</p>	<p>शर्मा देवि कुल भरपच भा.पं.राजपुरा-पातलवास पंचायत समिति-बस्ती राजपुरा</p>